का अधिकार प्रदान करने के लिये अलग से कोई विधेयक लाने या संविधान में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार का क्या निर्णय है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) सरकार तथा लोक-निकायों के कार्यकरण में पहले की अपेक्षा और अधिक पारदर्शिता तथा खुलापन लाने की दृष्टि से, सरकार ने "सूचना के अधिकार तथा खुली पारदर्शी सरकार के संवर्धन" के संबंध में श्री एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। उपर्युक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 21 मई, 1997 को सरकार को प्रस्तुत कर दी। उपर्युक्त कार्यदल ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी एक विधेयक का मसौदा सरकार के विचारण के लिये तैयार किया है। उसकी अन्य मुख्य सिफारिशें : शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 तथा 124 में संशोधन के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, केन्द्रीय सिविल-सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 11 तथा सूचना के वर्गीकरण से संबंधित विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के मैनुअल में परिणामी संशोधन हैं। उपर्युक्त कायदल की रिपोर्ट विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य-सरकारों/संघ राज्य-प्रशासनों को, उसके द्वारा (उपर्युक्त कार्यदल द्वारा) की गई सिफारिशों पर उनके विचार/टिप्पणियां जानने के लिये भेज दी गई हैं। उपर्युक्त अधिनियमों तथा अन्य प्रावधानों की देख रेख और उन्हें लागू करने वाले मंत्रालयों/विभागों से इन सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध अलग से किया गया है।

Setting-up of a full-fledged infectious disease hospital in Bharuch of Gujarat

*328 SHRI AHMED PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of infectious diseases hospitals with good investigative and diagnostic facilities, functioning in Gujarat as on date, with details thereof;

(b) whether Government propose to set-up or provide Central funds to Gujarat for setting-up such a hospital at Bharuch in the State; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (c) The Government of Gujarat have informed that the State of Gujarat has established a 50 bedded infectious diseases hospital with satisfactory investigative and diagnostic facilities at Vadodara where a new building has also been completed with an additional 50 beds. The Municipal Corporations of Ahmedabad and Surat have also established infectious disease hospitals.

No proposal has been referred by them for Central assistance for setting up of an Infectious Disease Hospital at Bharuch. 'Health' is a State subject under the Constitution and it is the responsibility of the State Government to provide adequate medical facilities in keeping with burden of disease and the felt needs of the people of the area.

Fake Doctors in Delhi

*329. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that thousands of fake doctors without even holding a proper medical degree, diploma or certificate from a recognised medical and statutory body, have been practising in Delhi with impunity;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the State Government has failed to curb the activities of fake doctors in Delhi, resulting into several deaths; and